

संख्या- 18 /सत्तर-4-2014-3(53)/2008टी०सी०
लखनऊ, दिनांक- 07 जनवरी, 2015

शुद्धि-पत्र

ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2014-15 में देय अनुदान की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-1225/सत्तर-4-2014-3(53)/2008 टी०सी०, दिनांक 05.01.2015 में त्रुटिवश लेखा शीर्षक-"2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनागत-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-13- जनपद लखनऊ में अरबी-फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)-31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)" अंकित हो गया है।

अतः उसके स्थान पर लेखा शीर्षक-"2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनेत्तर-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-13- जनपद लखनऊ में अरबी-फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)-31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)" समझा/पढ़ा जाय।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 05.01.2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(डा० अश्वनी कुमार गोयल)
संयुक्त सचिव

संख्या- 18 (1)/सत्तर-4-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ०प्र० इलाहाबाद।
2. कुलसचिव/वित्त अधिकारी, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० इलाहाबाद।
4. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र० इलाहाबाद।
5. संबंधित कोषाधिकारी।
6. सम्बंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11
8. अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, छठां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ, उ०प्र० शासन।
10. गार्ड फाइल।

कान लोडा/विस्तार
R
08/01/15

आज्ञा से,
(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।